



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022024-251995
CG-DL-E-12022024-251995

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 2024/माघ 23, 1945

No. 96]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 2024/MAGHA 23, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 5 फरवरी, 2024

सा.का.नि. 105(अ).—केन्द्रीय सरकार, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) नियम, 2024 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में, नियम 27 के उप-नियम (6) में, "अभिकरणों" शब्द के पश्चात "या विदेशी क्रेता से निःशुल्क और उसी विदेशी क्रेता को निर्यात" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. डी. 12/4/2013-एसईजेड(पार्ट)]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- 2, खंड3, उप-खंड(i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 54 (अ), तारीख 10 फरवरी, 2006 के अधीन प्रकाशित किये गये थे और उनमें अंतिम संशोधन की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 881 (अ) तारीख 6 दिसंबर, 2023 के अधीन किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi the 5th February, 2024

G.S.R. 105(E).—In exercise of the powers conferred by section 55 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2006, namely: -

1. (1) These rules may be called the Special Economic Zones (Amendment) Rules, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Special Economic Zones Rules, 2006, In sub-rule (6) of rule 27, after the word “Agencies” the words “or free of charge from foreign buyer and Export thereof to the same foreign buyer” shall be inserted.

[F. No. D.12/4/2013-SEZ(pt)]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R 54(E), dated the 10th February, 2006 and lastly amended *vide* notification number G.S.R 881 (E) dated the 6th December, 2023.